ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292 PP. NO.- 317-319
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

स्वयं सहायता समूह की समस्या एवं समाधन

शैलेन्द्र प्रसाद सिंह

शोध अध्येता –राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 23.07.2020, Accepted - 25.07.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़े एवं गरीब महिलाओं के छोटे–छोटे समूहों को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है । समाज में इसकी आवश्यकता इसलिए हुई ताकि महिलायें समूह में एकजुट होकर एक सांगठनिक ढाँचे के तहत विभिन्न क्षेत्राा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास के दौरान आत्मनिर्भर एवं सबल हो सके । स्वयं सहायता समूह के द्वारा न सिर्फ महिला बल्कि गाँव, समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव है एवं महिला सशक्तिकरण हेतु एक शक्तिशाली तंत्रा भी है –***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक, आर्थिक, ,राजनैतिक, महिलाओं,सहायता, आवश्यकता, समूह, एकजुट ।

सामाजिक पक्ष– स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में जागरूकता के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक चेतना भी आती है एवं समाज में स्त्राी शक्ति के द्वारा लैंगिक भेद में भी कमी आती है । स्त्रियों का समाज में सक्रिय स्थान होने के साथ–साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदारी बढ़ती है। स्वयं सहायता समूह के सक्रिय महिलाओं के द्वारा व्याप्त सामाजिक बुराईयाँ यथा–दहेज, लैंगिक भेद, बाल विवाह, डाईन प्रथा, टोटमावाद, घरेलु हिंसा इत्यादि का निराकरण होता है।

शैक्षणिक पक्ष– स्वयं सहायता समूह की महिलायें सदस्यों की शिक्षा के साथ–साथ गाँव में एवं शहरी कस्बों में भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार में सक्रिय रहती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह का शिक्षा को बढ़ावा देने में खास भूमिका निभातीं हैं।

आर्थिक पक्ष– स्वयं सहायता समूह की महिलायें आर्थिक गतिविधियों ;कुटीर उद्योग, क्रॉफ्रट, कृषि, पशुपालन, डेयरीद्ध का संचालन करती है एवं उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से उनकी आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर में सुधर होता है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को आवश्यक दक्षता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण इत्यादि निरंतर दी जाती है ताकि उनका क्षमता निर्माण हो और आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो सके।

राजनैतिक पक्ष– पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलायें लोगों में पंचायती राज व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिाक मूल्यों, मताधिकार इत्यादि के प्रति जागरूक कर रही है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करती हैं । बिहार सरकार के द्वारा पंचायतों में 50 महिला आरक्षण के उपरान्त महिलाओं में राजनैतिक चेतना आई है एवं विभिन्न राजनैतिक पदों पर कार्यरत होकर अपना पहचान बनाने में सपफल हो रही हैं।

ग्रामीण विकास पक्ष– स्वयं सहायता समूह के सक्रिय भूमिका के कारण गाँवों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य विकास सकारात्मक रूप से हो रही है । बिहार के कई जिलों के सैकड़ों गाँवों में क्रॉफ्रट, बकरी पालन, मखाना, मछली पालन और जूट इत्यादि कुटीर उद्योगों के कारण रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि हुई है। लोगों का विकास हुआ जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि हुई है ।

महिलाओं के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है । गाँव में दलाली एवं महाजनी व्यवस्था में कमी आई है एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को RTI, DV, RTS एक्ट और सामाजिक सुरक्षा एक्ट के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर सृजन किये गये आधरभूत ढाँचों, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, सड़क, चापाकल, गौशाला, आँगनबाड़ी, कुआँ, तालाब इत्यादि की देखभाल नियमित रूप से किया जा रहा है और लोगों को बाढ़ से बचने एवं अन्य आपदा के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बाजार पक्ष–समूह के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग बढ़ी है एवं एक नियमित बाजार पर पकड़ बनाने में सपफलता मिली है। बिहार के शहरी एवं ग्रामीण कस्बों में समूह के द्वारा बनाये गये वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध है एवं लोगों में जबर्दस्त माँग है।

बाजार को व्यापक बनाने एवं वस्तुओं की गुण्वत्ता, पैकेजिंग, मशीनरी, भंडारण इत्यादि के लिए निरंतर प्रयास

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

की जरूरत है । सरकार एवं बैंकों के स्तर से समूहों को आधरभूत ढाँचा उपलब्ध कराने की जरूरत है ।

सामाजिक अंकेक्षण पक्ष– वर्तमान में सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनको सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन संघीय व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है । केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी एवं ग्रामीण निकायों के द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । कार्यक्रमों में जन–सहभागीता को सुनिश्चित किया जाना है ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी को मिल सके एवं कार्यक्रम अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सके। योजनाओं की नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभिन्न स्तरों पर की जाती है ताकि कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता सुचारू रूप से हो सके ।

महिला सशक्तिकरण– उपरोक्त तथ्यों एवं शोध न विभिन्न आयामों के विस्तार पूर्वक व्याख्या एवं विश्लेषण के अधर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूह वैश्वनिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक तंत्रा एवं व्यवस्था है । शोध के विषय विश्लेषण के अन्तर्गत ये बातें सामने आई की निष्क्रिय रूप से पड़ी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर गाँव एवं समाज के निर्माण एवं विकास में सक्रिय रूप से भूमिका निर्वहण कर रही है ।

स्वयं सहायता समूह एक खुशहाल समाज के लिए अत्यावश्यक तंत्रा है ताकि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर बढ़ते हुये पल्लवित होता रहे एवं विकास के सुनहरें पन्ने गढ़ता हुआ नई बुलंदियों को छु सके ।

समस्या– नारी शक्ति को एक नया आयाम एवं नई दिशा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना एवं इसका सतही स्वरूप समय की माँग है एवं नारी उत्थान के दिशा में सार्थक एवं प्रासंगिक प्रयास है । वर्तमान वैश्विक अर्थ व्यवस्था एवं भागदौड़ की जिंदगी में गरीब, दलीत एवं पिछड़े महिलाओं को एकजुट कर छोटे–छोटे समूहों में संगठित कर स्वयं सहायता समूह के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण के द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रा में निरंतर पहल जारी है।

इन सब के बावजूद SHG एवं इनसे जुड़ी महिलाओं की समस्या भी सिर उठाये खड़ी है । निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है –

सामाजिक समस्या– गरीब एवं कमजोर वर्ग के महिलाओं को सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । समाज के मजबूत वर्ग इन्हें गोलबन्द एवं एकजुट देखना पसन्द नहीं करते हैं । एक बड़ा पुरूष वर्ग इन महिलाओं को सामाजिक क्षेत्रा में हो रहे बदलावों में भागीदारी नहीं चाहते हैं तथा सामाजिक सरोकारी में इन्हें भाग लेने एवं निर्णय लेने को अपने अहम के विरूद्ध मानते हैं । छूआछूत, उफँच–नीच, गरीबी इत्यादि भी महिलाओं को आगे बढ़ने में बाध मानते हैं । कहीं–कहीं जातिय मामला भी आगे आता है ।

लिंग भेद– अधिकांश ग्रामीण एवं शहरी कस्बों में लैंगिक भेद की समस्या है । समाज अधिकांश मामलों में स्त्राी को घरेलू कार्य के लिए उपयुक्त मानता है । कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्रा में गरीब महिलाओं की भूमिका अहम होते हुये भी समाज में उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता को नजर अंदाज किया जाता है।

शिक्षा– अधिकांश महिलायें निरक्ष हैं एवं यदि कुछ मामलों में साक्षर भी हैं तो वह लिखने पढ़ने में दक्ष नहीं हैं। इसलिए इन महिलाओं को शिक्षित करन अतिआवश्यक है।

बैंक सहायता– SHG के महिलाओं को खाता खोलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यदि खाता खुल भी जाता है तो आवश्यक सहायता प्राप्त होने में समस्यायें आती हैं । जैसे–द्धण लेने में सब्सिडी लेने में, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण क्त्व। की भूमिका भी उदासी एवं निष्क्रिय होती है ।

बिजली की समस्या– SHG के महिलाओं को बिजली की कमी के वजह से बिजली आधरित उत्पादों पर काम करने में कठिनाई है ऐसे हालत में अन्य व्यवसायों को करना पड़ता है।

आधरभूत ढाँचा की समस्या– शोध के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में आधरभूत ढाँचा की कमी देखी गई । यथा–ग्रामीण सड़कें, बिजली, व्यवस्थित बाजार, गोदाम, बैंकों की दूरी, कोल्ड स्टोरेज ;पफल, सब्जी एवं पफूल हेतु इत्यादि ।

आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल के संबंध में– ग्रुप के सदस्यों को वाँछित एवं प्रासंगिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के अभाव में उत्पादकता पर असर पड़ती है। इस वजह से बाजार के अनुरूप गुणवत्ता एवं उत्पादन की मात्राा में तालमेल का अभाव होता है । जिससे की ग्रुप के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का माँग घट जाती है।

विपणन का अभाव– SHG को सही बाजार सही मूल्य पर नहीं मिल पाता है जिससे की कम मूल्य पर उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कभी–कभी हानि भी सहना पड़ता है । उत्पादों का सही मूल्य पर समुचित रूप से दूर–दराज के क्षेत्रों तक विपणन की सुविध आने पर न सिर्पफ वस्तुओं का माँग बढ़ेगी अपितू समूह के आय में भी वृद्धि होगी ।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

समाधन –

सामाजिक चेतना– सामाजिक स्तर पर महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना ताकि महिलायें SHG से जुड़कर आत्म निर्भर हो सके। खासतौर पर घर के पुरूष सदस्यों, ग्राम पंचायत के लोगों एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्ग इस क्षेत्रा में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

शिक्षा का प्रचार– महिला शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि स्वयं सहायता से जुड़कर सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सके एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की गणितीय समझ को बढ़ाया जा सके।

NGO की भूमिका– स्थानीय स्तर पर NGO सक्रिय रूप से स्वयं सहायता समूह का गठन एवं समूह की दक्षता एवं विकास को निरंतर बढ़ा सकता है। NGO के द्वारा उचित प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज और निपणन इत्यादि की अहम भूमिका निभा सकता है।

प्रशिक्षण एवं कौशन विकास कार्यक्रम– SHG के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि उनका नेतृत्व क्षमता एवं दक्षता का विकास हो जो कि समूह की कार्यवाही, आर्थिक गतिविधियों, वस्तु उत्पादन, रख–रखाव एवं विपणन में गुणात्मक रूप से वृद्धि कर ग्रुप को आत्म निर्भर किया जा सके। समूह के द्वारा वित्तीय एवं लेखा कार्यो का संधारण किया जा सके।

बैंक की सहायता– ग्रुप को समय–समय पर बैंक एवं सरकारी एजेंसियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तरह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाये ताकि समूह के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं अन्य कार्य को समयबद्ध सीमा में निपटाया जा सके।

विपणन– ग्रुप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए विपणन व्यवस्था एवं बाजार में अपनी उत्पादों को मौजूदगी एवं खपत हेतु रणनीति समय–समय पर माँग के अनुरूप बनाये रखनी होगी ।

ग्राम पंचायत की भूमिका– पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की भूमिका SHG के गठन एवं सबलीकरण के प्रति सकारात्मक होना चाहिए एवं ग्राम सभा के बैठकों में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करते हुए SHG के भूमिका को सही प्लेटपफार्म देना होगा ।

मेला/हाट का आयोजन– सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के तहत ग्राम ब्लॉक एवं जिला स्तर पर मेला एवं हाटों की प्रदर्शनी लगानी होगी ताकि विभिन्न SHG के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सामग्रियों को स्टॉल के माध्यम से बेचा जा सके । जन–जागरूकता(IES) अभियान यथा दिवाल लेखन, पद यात्राा, संगोठी, सेमिनार, कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन ।

SHG को सरकारी एवं बैंकों के द्वारा उचित सहायता एवं सब्सिडी राशि मुहैया करना। चरणबद्ध(तरीके से प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना ।

SHG का निबंध्न सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट अथवा को–ऑपरेटिव एक्ट के तहत करना।

SHGके द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल, संसाध्न एवं तकनीक के आधर पर वस्तु उत्पादन का चयन करना ताकि उत्पादन एवं विपणन के प्रक्रिया में माँग के अनुरूप सामांजस्य को स्थापित किया जा सके ।

SHGके कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को समय–समय पर करना एवं कमजोरियों को चिन्हित कर उनका निपटारा करना ।

समूह के द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का सामाजिक अंकेक्षण करना ।

सरकार एवं अन्य चेरीटेबल संस्थाओं के द्वारा SHG को आधरभूत ढाँचा हेतु आवश्यक धन राशि मशीनरी, स्टेशनरी, भवन, कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध करना ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चंद्र पी0, प्रेड एण्ड अन्सुरी सिन्हा 2010, "परपफोरमैन्स एण्ड सन्सटेन्बीलीटी ऑपफ सेल्पफ हेल्प.
2. 11 कामार्गए जे0एम0 अरूलए "सेल्पफ हेल्प ग्रुप्स न्यू मंतरा पफॉर इम्पावरमेन्ट" रीडर्स सेल्पफ बोल 2, नं0 2, 2005.
3. सेल्पफ हेल्प ग्रुप, गाइडलाइन्स 2009, नावार्ड डेहरादुन, उत्तराखंड, इंडिया
4. सी एस रेड्डी एण्ड संदीप मानाक पफॉर 2005– सेल्पफ हेल्प ग्रुप्स : के स्टोन ऑपफ माइक्रोपफाइनेन्स इन इंडिया–वोमैन इम्पावरमेन्ट या सोशल सेक्युरिटी पेपर राइटेन पफॉर महिला अभिरूद्धी सोसाइटी, आंध्र प्रदेश, ए पी एम ए एस।
5. हरिकृष्ण रावत – सामाजिक शोध की विध्यिा 2012 ।
6 कटार सिंह – ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियों एवं प्रबंद्ध 2011 ।

*****